

समाहरणालय, बक्सर  
(स्थापना शाखा)

पत्रांक 01-1574 /स्था0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

सेवा में,

स्थापना उप समाहर्ता, बक्सर

-----  
नजारत उप समाहर्ता, बक्सर

-----  
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव

बक्सर, दिनांक 27 / 8 /2019

विषय :

बजट मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड संख्या 33-2053000930001) मांग संख्या 33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु राशि के उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **Comprehensive Financial Management System, Govt. of Bihar** से विभिन्न ईकाईयों में विभिन्न आवंटन आई0डी0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्यय हेतु मो0 1,69,21,000/- (एक करोड़ उनहतर लाख इक्कीश हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवंटन 1,69,21,000/- (एक करोड़ उनहतर लाख इक्कीश हजार) रुपये को निम्नलिखित शर्तों के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार आपको उपावंटित किया जाता है :-

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903, दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या 2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. इसकी मांग संख्या 33 एवं विपत्र कोड संख्या 33-2053000930001 है।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
7. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की होगी।
9. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जायेगी।

10. आवंटन CFMS के द्वारा प्राप्त है।
11. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
12. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
13. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
14. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अन्त में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
15. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
16. मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से कार्यालय को भेजी जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभजन,

EO/-

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

ज्ञापांक 01-1574 /स्था0,बक्सर,दिनांक 27 / 8 /2019

प्रतिलिपि :- वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

जिला प्रशासन-093-जिला स्थापना-0001-जिला प्रशासन (मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या 33-2053000930001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापार का उपावदन :-

क्र.सं.	स्थापना उप समाहता, बकसर			नगर उप समाहता, बकसर			अनुमण्डल पदाधिकारी, बकसर			अनुमण्डल पदाधिकारी, जुमर्ख			पूर्व में कुल उपावदित राशि	वर्तमान में कुल उपावदन राशि	वर्तमान में कुल उपावदन राशि
	पूर्व उपावदन	वर्तमान उपावदन	कुल उपावदन	पूर्व उपावदन	वर्तमान उपावदन	कुल उपावदन	पूर्व उपावदन	वर्तमान उपावदन	कुल उपावदन	पूर्व उपावदन	वर्तमान उपावदन	कुल उपावदन			
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	12904200.00	7866000.00	20770200.00	0.00	0.00	0.00	1536700.00	568400.00	2105100.00	559100.00	565600.00	1124700.00	15000000.00	9000000.00	240
51															
16	774250.00	2113000.00	2887250.00	0.00	0.00	0.00	92200.00	286700.00	378900.00	33550.00	100300.00	133850.00	900000.00	2500000.00	34
70															
14	595210.00	873400.00	1468610.00	0.00	0.00	0.00	76830.00	91600.00	168430.00	27960.00	35000.00	62960.00	700000.00	1000000.00	17
*89															
0	258000.00	234800.00	492800.00	0.00	0.00	0.00	30800.00	41200.00	72000.00	11200.00	24000.00	35200.00	300000.00	300000.00	6
27															
8	60320.00	1000.00	61320.00	0.00	0.00	0.00	7100.00	0.00	7100.00	2580.00	0.00	2580.00	70000.00	1000.00	
16															
14591980.00	11088200.00	25680180.00	0.00	0.00	0.00	1743630.00	987900.00	2731530.00	634390.00	724900.00	1359290.00	16970000.00	12801000.00	297	
5	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	20
30															
2	0.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	14
19															
9	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00	1
18															
5	0.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	14
17															
4	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	1
2	0.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	30
8	14591980.00	11088200.00	25680180.00	3970000.00	4120000.00	8090000.00	1743630.00	987900.00	2731530.00	634390.00	724900.00	1359290.00	20940000.00	16921000.00	378

जिला पदाधिकारी,  
बकसर